भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं.147

गुरुवार, 20 जुलाई, 2023/29 आषाढ़, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी

147 डा. फौजिया खानः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्थायी आजीविका मॉडल को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआई) और फिक्की लेडीज ऑर्गनाइजेशन (एफएलओ) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रही है;

(घ) संपूर्ण अर्थव्यवस्था में महिला रोजगार की कम हिस्सेदारी तथा महिलाओं और पुरुषों के वेतन में व्यापक अंतर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पर्यटन क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): जी, हां। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु पर्यटन को स्थायी आजीविका मॉडल के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआई) और फिक्की लेडीज ऑर्गनाइजेशन (एफएलओ) के साथ दिनांक 21 अगस्त, 2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख): पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। राज्य पर्यटन विभागों और राज्य पर्यटन निगमों सहित एफएलओ और टीएएआई की राज्य स्तरीय शाखाएं महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका हेतु एक मॉडल के रूप में पर्यटन उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए जागरूकता पैदा करेंगी और उनका आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करेगी। इस पहल के तहत प्रस्तावित कुछ मुख्य घटक है:-

(i) देखो अपना देश पहल के अंतर्गत देश के भीतर कम से कम 15 गंतव्यों की यात्रा को प्रोत्साहित करना।

(ii) प्रत्येक राज्य में एक प्रतिष्ठित स्मारक या पर्यटक स्थल के आसपास समुदाय-आधारित पर्यटन गतिविधियों का संचालन करना। इसमें महिलाएं टूर गाइड होंगी, फूड स्टाल और अपनी कला तथा शिल्प की स्मारिका स्टाल चलाएंगी तथा स्थल का संचालन और लेखा संबंधी पूरा हिसाब संभालेगी।

(iii) एनजीओ, कार्यान्वयन एजेंसियों, यात्रा उद्योग संघों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं के माध्यम से महिलाओं को अतिथि देवो भव मोटो से जोड़ना और इसके बारे में जागरूक करना।

(iv) महिलाओं के लिए आजीविका संबंधी अवसर उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण और शहरी होमस्टे हेतु समुदाय संचालित और महिलाओं की नेतृत्व वाली पहलों का सृजन।

(v) अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाना।

(ग): यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में लिंग-वार रोज़गार के आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया जाता है। तथापि तीसरे पर्यटन सेटेलाइट अकाउंट (टीएसए) के अनुरूप आकलन के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2021-22 में देश के कुल रोजगार में पर्यटन का योगदान निम्नानुसार है:-

	2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
नौकरियों में हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	14.78	14.87	13.50	12.91	12.66
प्रत्यक्ष (%)	6.44	6.48	5.89	5.63	5.52
अप्रत्यक्ष (%)	8.33	8.38	7.61	7.28	7.14
पर्यटन के कारण प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष नौकरियां (मिलियन में)	72.69	75.85	69.44	68.07	70.04

टिप्पणी: आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के संबंधित राउंड्स से एनसीएईआर गणना की गई है।

(घ): महिला रोजगार की हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करने हेतु अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता प्रमाणन कार्यक्रम में नामांकन हेतु महिला आवेदकों/अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह पर्यटन मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है और इस प्रमाणन कार्यक्रम का लक्ष्य पर्यटन क्षमता वाले दूरवर्ती क्षेत्रों सहित देशभर में सुप्रशिक्षित और अनुभवी पर्यटक सुविधाप्रदाताओं के एक पूल के सृजन के उद्देश्य से ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफार्म तैयार करना है। अभ्यर्थी कहीं से भी और किसी भी समय तथा अपनी सुविधानुसार इन

ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को पूरा कर सकते हैं। यह कार्यक्रम दिनांक 01.01.2020 से भारतीय यात्रा और पर्यटन प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) द्वारा चलाया जा रहा है।

(ङ): पर्यटन मंत्रालय ने महिला और बाल विकास मंत्रालय, सभी राज्य सरकारों और औद्योगिक हितधारकों सहित संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति और रोडमैप तैयार किया है। कार्यनीति दस्तावेज़ का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं का सम्मिलन है ताकि महिलाओं द्वारा ग्रामीण पर्यटन में अवसरों का लाभ उठाया जा सके और पर्यटन महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के माध्यम के रूप में कार्य कर सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण होमस्टे के संवर्धन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति भी तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण होमस्टे के संचालन में महिलाओं के लिए स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका की परिकल्पना की गई है।

****